

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. 328/2012

दर्ज दिनांक:-20.07.2012

श्रीमती नारंगी देवी पत्नी सोरनसिंह जाति जाट निवासी हथैनी तहसील व जिला भरतपुर
.....वादिनी

बनाम

1. श्रीमती रम्बूली पत्नी भगवान सिंह जाति जाट निवासी हथैनी तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:

वादी अभिभाषक
प्रतिवादीगण अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-04.04.2019

वकील उभयपक्ष उपस्थित। बार बार अवसर देने के बावजूद भी वादिया द्वारा कॉस्ट अदा नहीं की गयी। वादिया का प्रार्थना पत्र 151सी पी सी दिनांक 05.12.16 को स्वीकार रु. 200 की कॉस्ट पर किया जाकर साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। किन्तु कई अवसर देने के बाद भी वादिया द्वारा कॉस्ट अदा नहीं की गयी। इस बावत वकील प्रतिवादी को एतराज है। अतः दावा वादिया न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने के कारण 09-R5CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा0 द0 हो।

(SAUMYA JHA)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

Web Copy - Not Official